



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की

“समृद्धि विहार” नया मुरादाबाद योजना सेक्टर 16बी में
एम.एम.आई.जी. (दो मंजिल) आवासीय भवनों को
“लॉटरी ड्रा” के माध्यम से प्राप्त करने का **स्वर्णिम अवसर**

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि

22.02.2024 से

11.03.2024 तक

मूल्य रु0 1500 / – (Non Refundable)
(जी0एस0टी0 सहित)



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार नया मुरादाबाद योजना सेक्टर 16बी के मुख्य आकर्षण एवं विशेषताएं :-

- शहर के मुख्य मार्ग दिल्ली रोड एन.एच.-24 से मात्र 100 मी0 की दूरी पर स्थित है।
- पूर्णतया विकसित।
- समस्त मूलभूत सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
 - ❖ सड़क
 - ❖ पथ-प्रकाश
 - ❖ पेयजल
 - ❖ ड्रेनेज सिस्टम
 - ❖ सीवरेज डिस्पोजल
 - ❖ घना हरित क्षेत्र
 - ❖ पार्क
- सीमेंट कन्क्रीट फ्लोरिंग
- दरवाजा – फ्लश डोर (02)
- खिड़की – एम.एस.जेड. सेक्शन ग्लास सहित
- वाटर टैंक – 500 लीटर क्षमता प्रति यूनिट
- रूफ ट्रीटमेंट –मड फस्का
- स्टेयर केस – सीमेंट कन्क्रीट स्टेप
- वाटर सप्लाई – 15/20 एम.एम. की पी.वी.सी. पाईप सेमी फिटिंग्स
- स्टेनलेस स्टील सिंक (किचन में)
- पर्याप्त खुली पार्किंग।



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

1. रिक्त सम्पत्तियों का विवरण, सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य एवं वांछित पंजीकरण धनराशि का विवरण :-

क्र.सं.	योजना का नाम	तल	कुल सम्पत्तियों की संख्या	भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन की कुल कीमत (रु०)	पंजीकरण धनराशि (रु०)
01	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 120 एम.एम.आई.जी. भवन	भूतल	30	51.28	30,55,000.00	3,00,000.00
		प्रथम तल	26	51.28	26,03,000.00	
02	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 36 एम.एम.आई.जी. भवन	भूतल	15	55.33	34,57,000.00	3,20,000.00
		प्रथम तल	18	52.00	29,37,000.00	

2. आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार रिक्त सम्पत्तियों का विवरण :-

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	पुराने 56 भवनों के सापेक्ष आरक्षित भवनों की संख्या	नये 36 भवनों के सापेक्ष आरक्षित भवनों की संख्या
वर्टिकल आरक्षण				
1	अनुसूचित जाति	21%	11	06
2	अनुसूचित जनजाति	2%	2	1
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	15	10
4	सामान्य श्रेणी	50%	28	16
हॉरिजेंटल आरक्षण				
1	मा० विधायक/मा० सांसद व स्वतन्त्रता सेनानी	5%	3	2
2	सरकारी सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	5%	3	2
3	उ०प्र० आवास विकास, विकास प्राधिकरण, जलसंस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2%	1	1
4	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	3%	2	1
5	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	4%	2	1




मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 120 एम.एम.आई.जी. भवनों का फ्लोर प्लान
(भूतल)

- दो फ्लैट का भू तल प्लान सुपर एरिया – 140.18वर्ग मी०
एक फ्लैट का भूखण्ड क्षेत्रफल – 70.09वर्ग मी०
एक फ्लैट का अच्छादित क्षेत्र
कॉमन एरिया – 51.28वर्ग मी०
– 14.74वर्ग मी०

३०





मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 120 एम.एम.आई.जी. भवनों का फ्लोर प्लान
(प्रथम तल)

दो फ्लैट का प्रथम तल प्लान सुपर एरिया – 140.18वर्ग मी0
एक फ्लैट का भूखण्ड क्षेत्रफल – 70.09वर्ग मी0
एक फ्लैट का अच्छादित क्षेत्र – 51.28वर्ग मी0
कॉमन एरिया – 11.74वर्ग मी0

30






मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 36 एम.एम.आई.जी. भवनों का फ्लोर प्लान
(भूतल)

दो फ्लैट का भू तल प्लान सुपर एरिया — 160.20वर्ग मी०
एक फ्लैट का भूखण्ड क्षेत्रफल — 80.10वर्ग मी०
एक फ्लैट का अच्छादित क्षेत्र — 55.33वर्ग मी०
कॉमन एरिया — 13.35वर्ग मी०

उ०






मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 36 एम.एम.आई.जी. भवनों का फ्लोर प्लान
(प्रथम तल)

दो फ्लैट का प्रथम तल प्लान सुपर एरिया — 160.20वर्ग मी०
एक फ्लैट का भूखण्ड क्षेत्रफल — 80.10वर्ग मी०
एक फ्लैट का अच्छादित क्षेत्र — 52.00वर्ग मी०
कॉमन एरिया — 13.35वर्ग मी०

30

6.74




12.00

9 M WIDE ROAD



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

समृद्धि विहार, नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी का पंहुच मार्ग



Key Plan



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सामान्य निर्देश एवं नियम शर्त :-

1. मात्र ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल www.janhit.upda.in पर किया जाना अनिवार्य होगा।
2. लॉटरी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
3. ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक को स्वयं का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र (इनकम टैक्स रिटर्न/सैलरी स्लिप), कैंसिल चैक, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणियों हेतु) ऑनलाईन अपलोड करने होंगे।
4. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा हो एवं वांछित अभिलेखों को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि का भुगतान ऑनलाईन ही नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जमा की जाने वाली पंजीकरण धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण धनराशि (₹0)	आरक्षित श्रेणी हेतु पंजीकरण धनराशि (₹0)
01	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 120 एम.एम.आई.जी. भवन	3,00,000.00	1,50,000.00
02	समृद्धि विहार नया मुरादाबाद सेक्टर 16बी, 36 एम.एम.आई.जी. भवन	3,20,000.00	1,60,000.00

6. एक से अधिक या संयुक्त नाम से पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य होगा।
7. योजना आवासीय है। अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन हेतु किया जायेगा। आवंटी को किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
8. जिन आवेदकों को लॉटरी ड्रॉ में भवन आवंटित नहीं होता है, के द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 180 दिवस में आवेदन फार्म में अंकित बैंक अकाउन्ट में ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
9. विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में "समृद्धि विहार" योजना स्थल का निरीक्षण किया जा सकता है।
10. लॉटरी ड्रा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad.up.gov.in पर अलग से प्रदर्शित की जायेगी।
11. लॉटरी ड्रा से 10 दिवस पूर्व समस्त आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad.up.gov.in एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लॉटरी ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो आवेदक कार्यालय को सूचित करेंगे। तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लॉटरी ड्रा की तिथि को एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवंटित अपना कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

13. एक व्यक्ति, एक ही श्रेणी की सम्पत्ति पर आवेदन कर सकेगा।
14. यदि आवेदनकर्ता लॉटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या पंजीकरण की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
15. भवन का भौतिक कब्जा विक्रय विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
16. भवन जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे।
17. आवंटित भवन पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भवन का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
18. आवंटन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।
19. किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
20. समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।
21. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
22. सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
23. सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर 10 प्रतिशत क्षेत्रफल आवंटन दर पर एवं शेष 90 प्रतिशत क्षेत्रफल तद्समय लागू सर्किल दर पर धनराशि का भुगतान किया जाना होगा, जो आवंटी को मान्य होगा।
24. सम्पत्ति जहां है-जैसे है के आधार पर आवंटित की जायेगी।

25. भुगतान प्रक्रिया

- 25.1 भवन आवंटन के पश्चात पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए सम्पत्ति मूल्य का कुल 30 प्रतिशत आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 25.2 सम्पत्ति की **अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि MCLR+3.5** प्रतिशत (आवंटन की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 8 त्रैमासिक किस्तों में भुगतान किया जायेगा। किष्टों का समय से भुगतान न करने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
- 25.3 यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष अवशेष धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एक मुश्त धनराशि जमा की जाती है तो बेसिक **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी**, जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा तथा यदि अवशेष धनराशि बचती है, तो वापस कर दी जायेगी।
- 25.4 भवन की भूमि कीमत का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड व अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। यदि कॉर्नर की सम्पत्ति है तो 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा। विक्रय विलेख की प्रक्रिया में होने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

26. निरस्तीकरण / समर्पण

- 26.1 यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा लॉटरी ड्रॉ की तिथि से 10 दिवस पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस करने की मांग की जाती है, तो लॉटरी ड्रॉ के पश्चात 180 दिवस में धनराशि ब्याज रहित वापस की जायेगी तथा उसे लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- 26.2 आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि से छः माह के भीतर की अवधि में, यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि की 20 प्रतिशत कटौती करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।
- 26.3 आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त जमा धनराशि में से 20 प्रतिशत कटौती करते हुए वापस कर दी जायेगी।
- 26.4 आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि विक्रय विलेख के पश्चात भी उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

27. आरक्षण प्रक्रिया

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	ऊर्ध्वाधर	21%
2	अनुसूचित जनजाति	ऊर्ध्वाधर	02%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	ऊर्ध्वाधर	27%
4	मा10 विधायक/मा10 सांसद व स्वतन्त्रता सेनानी	क्षैतिज	05%
5	सरकारी सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	क्षैतिज	05%
6	उ0प्र0 आवास विकास, विकास प्राधिकरण, जलसंस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	क्षैतिज	02%
7	भूतपूर्व सैनिक/भूतपूर्व केन्द्रीय पुलिस बल के कार्मिकों एवं उनके आश्रित	क्षैतिज	03%
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	क्षैतिज	04%

नोट:-

- उपरोक्त में से क्रमांक 01 से 03 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही क्षैतिज रूप से किया जायेगा। क्षैतिज आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।
- आरक्षण कोटे के लिए आवेदकों की कमी से शेष रहे आवासीय भवन सामान्य श्रेणी के चयनित/प्रतीक्षागत आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

सचिव

उपाध्यक्ष



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

शपथ पत्र (रु० 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री / श्रीमती / कुमारी..... पिता / पति का नाम श्री.....

आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत..... हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रु०..... टोकन धनराशि बैंक ड्राफ्ट सं०..... दिनांक..... के माध्यम से जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।

4. मेरे या मेरे पति/मेरी पत्नी तथा अवस्यक बच्चों के पास विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखण्ड/भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश में किसी नगर/शहरी क्षेत्र की विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

6. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

7. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूखण्ड/भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।

8. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक भूखण्ड/भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूँ मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड/भवन रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।

9. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड/भवन का कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड/भवन का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड/भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।

10. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

आवेदन प्रक्रिया

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पोर्टल www.janhit.upda.in पर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इच्छित श्रेणी की सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

Step 01

Open any browser and type **janhit.upda.in**



Step 02

Click on Registration for allotment (Module)



Step 03

Click on Proceed and Select Moradabad Development Authority (Logo)



Step 04

Click on New Account and creat your account



Step 05

Back on Home page and login with your created User name and password



Step 06

Click on Add new Registration



Step 07

Click on Scheme name and Select **“Samridhi Vihar”**



Step 08

Click on required category for 120 MMIG or 36 MMIG House



Step 09

Fill all required details and upload necessary documents (**Applicant Photo, Aadhar Card, Pan Card, Cancel Check, Income Proof, Caste certificate* & Reserve Category Certificate**)



Step 10

Pay Booklet Fee & Registration amount.

*** Not for General Caste**

नोट :- किसी भी सहायता हेतु प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक कार्य दिवस में मोबाइल संख्या +91-7906598448 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

एक सुन्दर शहर—हमारा संकल्प

हम जानते हैं कि आप पर्यावरण के हितैषी हैं

जल अमूल्य है, जल संरक्षण में अपना योगदान दें



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सेक्टर—13 नया मुरादाबाद, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद।

website :- mdamoradabad.up.gov.in

email :- mrdda@nic.in